



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट



संख्या 458 / चारधाम परियोजना/ चम्पावत बाईपास

दिनांक 20/02/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

विषय :- चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक- 1611/12-1देहरादून, दि. 14.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा को सम्बोधित तथा पृष्ठांकित आपको एवं इस कार्यालय को है, द्वारा कुछ सूचनाएं माँगी गई। सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 241/ चारधाम परियोजना/चम्पावत बाईपास दिनांक 27/02/2024 के द्वारा प्रेषित की गयी। ऑनलाईन पोर्टल में आपके द्वारा आपत्ति एवं आपत्ति के निराकरण का निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करने हेतु आपत्ति लगाई गई है। जो निम्न प्रकार है-

क.	आपत्ति	निराकरण
1	भारत सरकार द्वारा आहूत REC बैठक दिनांक 27-10-2023 के क्रम में वांछित सूचना आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा डम्पिंग स्थलों को कार्य पूर्ण होने के पश्चात वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है, जबकि बिन्दु सं०-2 के अनुपालन में मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थल पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।	विषयक बाईपास के निर्माण में डम्पिंग स्थल चयनित किये गये हैं जिनमें मलुवे का निस्तारण किया जायेगा। वन भूमि की स्वीकृति के पश्चात निर्माण के दौरान मक डम्पिंग स्थल पर वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात मक डम्पिंग स्थलों को वन विभाग को हस्तान्तरण कर दिया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	उक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट-1 के पैरा C(iii), एवं (iv) में प्रस्तावित मार्ग के डिजिटल एवं जियो रेफिरेन्स मानचित्रों के स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित मानचित्रों को अपलोड किया गया है एवं ऑनलाईन पार्ट-1 के पैरा-1, में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित के०एम०एल० तथा डिजिटल एवं जियो रेफिरेन्स मानचित्र अपलोड नहीं किये गये हैं।	प्रस्ताव के आनलाईन पार्ट 1 के पैरा-C (iii) एवं (iv) में मोटर मार्ग का डिजिटल मैप एवं जियो रिफ्रैन्स मैप अपलोड कर दिये गये हैं। क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित के०एम०एल० एवं डिजिटल मैप एवं जी.ई.ओ. रिफ्रैन्स मैप पार्ट-2 में अपलोड किया जाना है। जो आपके स्तर से अपलोड होना है। मैप आपको पूर्व में उपलब्ध करा दिये गये हैं।
3	प्रस्तावित मोटर मार्ग एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित के०एम०एल० फाईल तथा डिजिटल एवं जियो रेफिरेन्स मानचित्रों को ऑनलाईन पार्ट-1 एवं पार्ट-2 में यथास्थान अपलोड कराते हुए भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित KML तथा डिजिटल एवं जियो रिफ्रैन्स मैप पार्ट-2 में अपलोड किये जाने हैं मैपों को अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें। खण्ड स्तर द्वारा मैप Additional Information में अपलोड कर दिये गये हैं। बिन्दुवार सूचना आपको प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार अपने स्तर से सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न पत्रानुसार।

(इं. आशुतोष कुमार)

अधिशासी अभियन्ता,

रा०मार्० खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट